कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री जयंत जोशी एडवोकेट चैम्बर नं0 3 कोर्ट के सामने दौसा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) दौसा, जिला दौसा
अपील सं0 40/2019

निर्णय दिनांक : 15.10.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) दौसा, जिला दौसा को सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति पत्रांकः डी0एम0/कोर्ट/आरटीआई/2019/2165 दिनांक 18.09.2019 एवं स्मरण पत्रांकः 2304 दिनांक 03.10.2019 द्वारा प्रेषित कर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) दौसा द्वारा उनके पत्रांकःपीए/एफः42/आरटीआई/2019/3325 दिनांक 07.10.2019 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना अस्पष्ट या अधूरी एवं प्रश्नावली से संबंधित है जो दिया जाना संम्भव नही है। एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध मे स्पष्टता से अवगत नही करवाया जाना व्यक्त किया है। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा द्वारा उनके पत्रांकः 2948 दिनांक 16.08.2019 द्वारा अपीलांट को सूचना दिया जाना संभव नही होना सूचित किया गया है। जिसकी छायाप्रति भी संलग्न भिजवाई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official